

परिशिष्ट

(देखिय नियम-6)

राज्य सरकारों तथा अन्य प्राधिकारियों द्वारा प्रस्तावों की
धारा-2 के अन्तर्गत पूर्व अनुमति लेने का फार्म

भाग-1

(प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भरे जाने के लिए)

परियोजना का नाम:- माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा 415/2018 के अन्तर्गत जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र थराली के विकासखण्ड घाट में बंगाली (बांजबगड़) से विकासखण्ड थराली के रुईसांण तक मोटर मार्ग का नव निर्माण।

1.

- | | | | | | | | | | |
|---|--|-------------|-----------|----------------|----------|-----------------|-----------|------------|-----------|
| (क) अपेक्षित वन भूमि के लिए प्रस्ताव /परियोजना/स्कीम का संक्षिप्त विवरण। | जनपद चमोली में बाजबगड़- रुईसांण मोटर मार्ग के नवनिर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण। | | | | | | | | |
| (ख) 1:50,000 स्केल मैप पर वन भूमि और उसके आस-पास के वनों की सीमाओं को दर्शाने वाला मैप। | संलग्न | | | | | | | | |
| (ग) परियोजना की लागत। | रु. 292.00 लाख | | | | | | | | |
| (घ) वन क्षेत्र में परियोजना स्थापित करने का औचित्य। | मोटर मार्ग नवनिर्माण हेतु अन्य विकल्प अनुपलब्ध। दो विकासखण्डों व जिले के अधिकांश सरल व सुगम यातायात सुविधा उपलब्ध कराया जाना। | | | | | | | | |
| (ङ.) लागत लाभ विश्लेषण (संलग्न किये जाने के लिए) | संलग्न | | | | | | | | |
| (च) रोजगार जिनके पैदा होने की | पर्यटन, स्थानीय कृषि उत्पादन, वनात्पाद (जड़ी-बूटी), बागवानी एवं वानिकी में संभावना है। वृद्धि होने के फलस्वरूप रोजगार के अवसर बढ़ेंगे | | | | | | | | |
| 2.कुल अपेक्षित भूमि का उद्देश्यवार विवरण: | <table border="0"> <tr> <td>सिविल भूमि-</td> <td>1.187 हे.</td> </tr> <tr> <td>वन पंचायत भूमि</td> <td>0.00 हे.</td> </tr> <tr> <td>आरक्षित वन भूमि</td> <td>6.133 हे.</td> </tr> <tr> <td>सिविल भूमि</td> <td>1.187 हे.</td> </tr> </table> | सिविल भूमि- | 1.187 हे. | वन पंचायत भूमि | 0.00 हे. | आरक्षित वन भूमि | 6.133 हे. | सिविल भूमि | 1.187 हे. |
| सिविल भूमि- | 1.187 हे. | | | | | | | | |
| वन पंचायत भूमि | 0.00 हे. | | | | | | | | |
| आरक्षित वन भूमि | 6.133 हे. | | | | | | | | |
| सिविल भूमि | 1.187 हे. | | | | | | | | |
| 2.परियोजना के कारण लोगों को हटाने का विवरण, यदि कोई है | परियोजना के कारण कोई भी व्यक्ति / परिवार विस्थापित नहीं होगी। | | | | | | | | |

(क) परिवारों की संख्या

—X—

(ख) अनुसूचित जाति/जनजाति के

—X—

परिवारों की संख्या

(ग) पुर्नवास योजना (संलग्न किये जाने के लिए)

— X —

2. क्या पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत मन्जूरी आवश्यक है ?
(हां/नहीं)
3. प्रतिपूरक वनीकरण करने तथा उसके अनुरक्षण और या दण्ड स्वरूप प्रतिपूरक वनीकरण की लागत के साथ-साथ राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई योजना के अनुसार संरक्षण लागत और सुरक्षा क्षेत्र आदि में पुनः वनीकरण की वचनबद्धता (वचनबद्धता संलग्न की जाये)
4. निर्देशों के अनुसार संलग्न अपेक्षित प्रमाण पत्रों/दस्तावेजों का व्यौरा।

हों,

संलग्न

अनुसूची संलग्न है।

दिनांक.....

स्थान.....


अमीन
लो.नि.वि
कर्णप्रयाग


कनिष्ठा अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो.नि.वि
कर्णप्रयाग


सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो.नि.वि
कर्णप्रयाग


अधिशाली अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो.नि.
कर्णप्रयाग

प्रस्ताव की क्रम संख्या.....

(प्राप्ति की तारीख के साथ नोडल अधिकारी द्वारा भरा जाएगा)